एक ही व्यक्ति है तथा मुतनाजा भूमि की खातेदारी में सुखाराम पुत्र मालो के स्थान पर सुखाराम पुत्र मालुराम दर्ज किया जाना उचित है।

अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत मुतनाजा जमीन के राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज होकर रेकर्ड में मालो पुत्र पन्ना दर्ज है एवं जरिये फौतगी नामान्तकरण से प्रार्थी को प्राप्त हुई है। ग्राम आच्छोजाई की अन्य भूमि खसरा नंबर 584 की खातेदारी में सुखाराम पुत्र मालुराम दर्ज है। इससे यह पुष्टि होती है कि सुखाराम पुत्र मालुराम व सुखाराम पुत्र मालो दोनो एक ही व्यक्ति है। भूमिधारी तहसीलदार डेगाना ने भी उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती हेतु अनुशंषा की है। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजात एवं भूमिधारी की अनुशंषा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम आच्छोजाई तहसील डेगाना में खसरा नंबर 137 रकबा 6.7600 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 186 रकबा 0.3000 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी में दर्ज सुखाराम पुत्र मालो के स्थान पर सुखाराम पुत्र मालुराम दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाकर रेकर्ड दुरूस्त किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 14.03.2022 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी,
डेगाना (नागौर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डेगाना (नागौर) राज0

पीठासीन अधिकारी -- मुकेश चौधरी आर.ए.एस.

प्रार्थना-पत्र संख्या -- 8/2020

प्रार्थी -- सुखाराम पुत्र मालुराम जाति खारोल निवासी खारोलवास तहसील डेगाना जिला नागौर राज.

बनाम

अप्रार्थी -- तहसीलदार डेगाना जिला नागौर राज0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता प्रार्थी --श्री कमलेश नारायण व्यास

दिनांक 14.03.2022

-: आदेश :-

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत किया है जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम आच्छोजाई तहसील डेगाना में खसरा नंबर 137 रकबा 6.7600 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 186 रकबा 0.3000 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारीमुदा भूमि है। प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम सुखाराम पुत्र मालुराम है जो आधार कार्ड, परिचय पत्र, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, निर्वाचन नामावली आदि दस्तावेजात में दर्ज है। उक्त जमीन का जब नामान्तकरण भरा गया तब प्रार्थी का नाम सुखाराम पुत्र मालुराम दर्ज होना था लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती से या सहवन से प्रार्थी का नाम सुखाराम पुत्र मालो गलत दर्ज हो गया। सुखाराम पुत्र मालुराम व सुखाराम पुत्र मालो नाम का प्रार्थी एक ही व्यक्ति है दो अलग-अलग व्यक्ति नहीं है। मुतनाजा जमीन की खातेदारी में प्रार्थी का नाम सुखाराम पुत्र मालो दर्ज होने से प्रार्थी को भूमि के विकास करने, ऋण लेने आदि में भारी परेशानी हो रही है। प्रार्थी ने उक्त भूमि की खातेदारी में प्रार्थी का सही नाम सुखाराम पुत्र मालुराम दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार डेगाना से निवेदन किया मगर उन्होंने सही नाम दर्ज किये जाने से इन्कार कर दिया जिससे प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। राजस्व ग्राम आच्छोजाई के खसरा नंबर 584 रकबा 0.5600 हैक्टेयर की खातेदारी में प्रार्थी का सही नाम सुखाराम पुत्र मालुराम सही दर्ज है। मुतनाजा खसरान की खातेदारी के अन्य सहखातेदारान का हित प्रभावित नहीं होने के कारण इन्हें पक्षकार नहीं बनाया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम आच्छोजाई तहसील डेगाना में खसरा नंबर 137 रकबा 6.7600 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 186 रकबा 0.3000 हैक्टेयर में दर्ज प्रार्थी का नाम सुखाराम पुत्र मालो के स्थान पर सुखाराम पुत्र मालुराम दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते जवाबदेही जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी भूमियारी तहसीलदार डेगाना ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि सुखाराम पुत्र मालो व सुखाराम पुत्र मालुराम नाम के

14.3.2022 - पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थना-पत्र अपील स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखाया जाकर सुनाया जाए। पत्रावली फैसल शुमार होकर आलेख उपलब्ध हो। निर्णय सुनाया गया।